ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 193-195
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-9, No.-I, Issues-X YEAR- June -2018

राजभाषा हिन्दी

डॉ0 रंजना सिंह
अतिथि व्याख्याता–हिन्दी विभाग, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर, बस्तर (छत्तीसगढ), भारत

राज्य की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बाल चाल में प्रयोग की जाने वाली तथा राजकीय कार्यो में प्रयोग की जाने वाली भाषा ही राजभाषा कहलाती है, राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा शब्द पुराने है, लेकिन राजभाषा शब्द पुराना नहीं है। आधुनिक काल में राज शब्द प्रचलित हुआ और भाषा के संदर्भ में राजभाषा शब्द विकसित हुआ। भारतीय संविधान में भी राजभाषा शब्द का ही प्रयोग किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के रूप में हिन्दी की स्वीकृत के बाद इस शब्द का प्रयोग परम्परा के रूप में हो रहा है। जब किसी भाषा का प्रयोग सम्पूर्ण राज्य में किया जाता है तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। लेकिन हिन्दी का प्रयोग देश के सभी भागों में नहीं हो पा रहा है, दक्षिण भारत में हिन्दी बोल चाल की भाषा नहीं है, इसलिए हिन्दी राष्ट्रभाषा न होकर राजभाषा ही है।

राजभाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता दी जाय? यह सवाल संविधान निर्माताओं के समक्ष खड़ा हुआ। उस समय देश 14 प्रान्तों में बटा हुआ था और हिन्दी को छोड़कर 14 राजभाषाएँ थी अर्थात प्रत्येक प्रान्त की अपनी अलग–अलग भाषा थी। शासन स्तर पर किसी एक भाषा को मान्यता देना अन्य भाषाओं पर हमले के समान होता। परन्तु मध्य एवं उत्तर भारत सहित लगभग 42 प्रतिशत लोग हिन्दी बोलते थे, जिस में बिहार, उत्तर प्रदेश (संयुक्त प्रान्त) मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश और दिल्ली की जनता अधिकांश हिन्दी ही बोलती थी। इसीलिए सभी प्रान्तीय भावनाओं के बीच हिन्दी की स्थिति मजबूत दिखलायी दी और यह भारतीय संविधान में राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित की गयी। डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में 1946 में संविधान सभा ने निर्णय लिया कि सरकारी कामकाज की भाषा हिन्दुस्तानी हो या अंग्रेजी। 14 जुलाई 1947 को हिन्दुस्तानी शब्द के स्थान पर हिन्दी शब्द रखा गया। इस पर काफी बहस हुई और अंत में मतदान कराया गया। मतदान में हिन्दी के पक्ष में 63 और हिन्दुस्तानी के पक्ष में 32 मत पड़े। अतः मतदान द्वारा हिन्दी के पक्ष में निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में संविधान सभा द्वारा हिन्दी के पक्ष में निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में अत्यन्त महत्वपूर्ण बहस 12 से 14 सितम्बर 1949 के मध्य हुई। अन्ततः 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। इसी लिए 14 सितम्बर को प्रत्येक वर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा से सम्बंधित है, जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अनुच्छेद 343 एवं 344 में संघ की भाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भारत संघ की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 343 (2) के अनुसार "संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के साथ–साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग होता रहेगा।" अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक भाषा आयोग की स्थापना कर सकता है, जो हिन्दी के प्रयोग में क्रमिक वृद्धि पर बल देगा। संविधान के अनुच्छेद 344 में संघ की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया हैं, जिसे संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया है। मूल संविधान के आठवीं अनुसूची में 15 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गयी थी, ये भाषाएँ है–(1) असमिया (2) बंगला (3) गुजराती (4) हिन्दी (5) कन्नड़ (6) कश्मीरी (7) मलयालम (8) मराठी (9) उड़िया (10) पंजाबी (11) संस्कृत (12) सिन्धी (13) तमिल (14) तेलगू (15) उर्दू।

71वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1992 में तीन भाषाओं को और जोड़ा गया –
(16) कोकड़ी (17) मणिपुरी (17) नेपाली

92वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2003 में चार और भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया– (19) डोगरी (20) मैथिली (21) बोडो (22) सन्थाली इस प्रकार अब संविधान की आठवी अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारत में इन भाषाओं के बोलने वालों की संख्या लगभग 93 प्रतिशत है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुसार राष्ट्रपति में यह अधिकार निहित किया गया है कि संविधान लागू होने के पांच वर्ष पर वह एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने 7 जून 1955 को एक 21 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष बम्बई के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बाल गंगाधर खेर बनाये गये। हिन्दी के पक्ष में इस आयोग द्वारा निम्न महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये–

अनुरूपी लेखक

1. भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाय।
2. 14 वर्ष की आयु वाले प्रत्येक विद्यार्थी को हिन्दी का सम्यक ज्ञान कराया जाय।
3. माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर पूरे देश में हिन्दी भाषा का शिक्षण अनिवार्य कर दिया जाय।
4. 45 वर्ष से कम आयु वाले कर्मचारियों को एक समय सीमा के भीतर हिन्दी का ज्ञान कराया जाय।
5. सन् 1965 तक भारत सरकार के कामकाज की भाषा मुख्य अंग्रेजी रहेगी तथा हिन्दी गौण होगी।
6. अखिल भारतीय तथा उच्च स्तरीय सेवाओं के लिए अंग्रेजी भाषा को कायम रखा जाय।
7. संसद और विधान मण्डलों में हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं को महत्व दिया जाय।
8. प्रतियोगी परीक्षाओं में हिन्दी को एक अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप रखा जाय।
9. सभी भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि को उपयुक्त समझा जाय।

राजभाषा आयोग ने 1956 में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौपी थी। आयोग की सिफारिसो पर विचार करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया, जिसमें लोकसभा के 20 और राज्य सभा के 10 सदस्य थे। संसदीय समिति द्वारा राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर पुनर्विचार किया गया।

राजभाषा आयोग एवं संयुक्त संसदीय रिपोर्ट पर संविधान के अनुच्छेद 344 खण्ड–6 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने संघ की राजभाषा के सम्बन्ध में 27 अप्रैल 1960 को एक आदेश जारी किया, जिसके प्रमुख बिन्दु निम्न है–

1. अखिल भारतीय सेवा तथा उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं में भरती के लिए परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहे और कुछ समय बाद हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम चुना जाय।
2. हिन्दी और दूसरी अन्य भारतीय भाषाओं में समन्वय स्थापित किया जाय।
3. जिन कर्मचारियों की आयु 45 वर्ष से कम हो उनके लिए हिन्दी का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया जाय।
4. सभी प्रशासनिक साहित्य का अनुवाद किया जाय।
5. टंकणो और आशुलिपिकों को हिन्दी टंकण और आशुलेखन देने की व्यवस्था की जाय।
6. प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए अंग्रेजी और हिन्दी दोनो ही परीक्षा का माध्यम रहे।
7. एक मानव विधि कोष का निर्माण किया जाय और कानून सम्बन्धी साहित्य का हिन्दी में अनुवाद किया जाय।
8. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय आन्तरिक कार्यो के लिए हिन्दी का प्रयोग करें।

सन् 1963 मे राजभाषा अधिनियम बनाया गया। गैर हिन्दी भाषी राज्यों पं0 बंगाल और तमिलनाडु के द्वारा हिन्दी का विरोध मुखर होने के कारण अनुच्छेद 343 खण्ड–2 में संशोधन करते हुए व्यवस्था दी गयी कि 26 जनवरी 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। मूल संविधान में 15 वर्ष बाद (1965) सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य किये जाने की बात कही गयी थी। संसद और राज्य विधानसभाओं की कार्यवाही हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं में होगी, लेकिन उसका अंग्रेजी में अनुवाद देना होगा। संघ के संकल्पों, प्रेस–विज्ञप्ति, विज्ञापन, प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं दस्तावेजो को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देना होगा। उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिन्दी या किसी राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकेगा। 1965 के बाद किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति लेकर अंग्रेजी के साथ हिन्दी या राज्य की किसी अन्य भाषा को राजभाषा का स्थान दे सकता है।

राजभाषा अधिनियम की धारा 8 में दिये गये अधिकार के अधीन 1976 में कुछ नियम निर्धारित किये गये। सम्पूर्ण भारत के केन्द्रीय कार्यालयों को तीन भागों में बांट दिया गया–

क–वर्ग के क्षेत्र–उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिंमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली (हिन्दी भाषा सभी क्षेत्र)
ख–वर्ग के क्षेत्र–पंजाब गुजरात, महाराष्ट, चण्डीगढ़ और अण्डमान नीकोबार दीप समूह
ग–वर्ग के क्षेत्र–अवशेष सभी राज्य, पं.बगाल, उड़ीसा, उत्तर–पूर्वोन्तर भारत और दक्षिण के राज्य एवं तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों पर 1976 का राजभाषा अधिनियम लागू है। क क्षेत्र में शामिल कार्यालयों एवं व्यक्तियों को पत्र हिन्दी में भेजा जायेगा। यदि किसी को अंग्रेजी में पत्र भेजा जाय तो उसका अनुवाद हिन्दी में हो। ख क्षेत्र के कार्यालयों में पत्र हिन्दी में होगें। यदि अंग्रेजी में पत्र भेजा जाता है तो उस का अनुवाद हिन्दी में हो। यदि कोई राज्य किसी अन्य भाषा में पत्र–व्यवहार चाहे तो पत्र के साथ हिन्दी अनुवाद भेजे जाय। ग क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र अंग्रेजी में होगें।

संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधनमण्डल को यह अधिकार दिय गया है कि वह संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल, भाषाओं में से किसी एक या कई भाषा को सरकारी कार्यो के लिए राज्य की भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है। परन्तु राज्यों के परस्पर सम्बन्धों में संघ की राजभाषा को ही प्राधिकृत भाषा माना जायेगा।

यह बात सत्य है कि आजादी के बाद हिन्दी के प्रयोग एवं सामान्य बोलचाल की भाषा में वृद्धि हुई है। आज देश की 75 प्रतिशत जनता साामन्य बोल चाल की भाषा और सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग कर रही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ0 राम दरश रायः भाषा विज्ञान और हिन्दी भाषा
2. डॉ0 दुर्गादास बसुः भारतीय संविधान की रूपरेखा।
3. डॉ0 भोलानाथ तिवारीः भाषा विज्ञान
4. आचार्य शिव प्रसादः भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा।
5. डॉ0 महेन्द्र प्रताप वर्माः स्वतन्त्रता आन्दोलन एवं भारतीय संविधान ।
6. दैनिक जागरणः 14 सितम्बर 2023

*****